

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 441672

प्रारूप - 26
(नियम 4-क के लिए)



क्रमशः - 2-52

Handwritten signature/initials

46, कपकोट निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड वि० स० (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जान वाला शपथ पत्र

मैं कालवन्त सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री विजो सिंह आयु 50 वर्ष, जो कुरो

पञ्जाब राज्य का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिका करता हूँ/कस्ती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कस्ती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। नहीं लागू।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।)

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....
- पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....
- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे.....
- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... नहीं लागू।

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं लागू।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) : लागू नहीं।

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....
- न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....
- पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....
- तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....
- क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है.....



कपकोट
तारीख- 09.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

⑪

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

.....स्थान पर आज तारीख ०९.०१.२०१२ को सत्यापित किया।
कपनोट

Witness & Sign
बयान आ

18/Jan/2012
09.01.2012

K. S. DHAPOLA
Notary

Kapkot/Bageshwar (U.A.)

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



टिप्पणी: इस प्रमाण के व स्याम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।